लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, शनिवार, 28 फरवरी, 1970/9 फाल्गुन, 1891 (शक)
No. 7, Saturday, February 28, 1970/Phalguna 9, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निजी थैलियों और हरियाणा विधान सभा के स्थगन के बारे में	Re: Privy Purses and Adjournment of Haryana Assembly	1—2
सामान्य आय-व्ययक, 1970-71— प्रस्तुत श्रीमती इन्दिरा गांधी	General Budget, 1970-71, Presented Shrimati Indira Gandhi	2—10
वित्त विधेयक, 1970	Finance Bill, 1970	20
पुरःस्थपित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce	20

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 28 फरवरी, 1970/9 फाल्गुन, 1891 (शक)
Saturday, Feb. 28, 1970/Phalguna 9, 1891 (Saka)

लोक-सभा पांच बजे सायं समवेत हुई

The Lok Sabha met at Seventeen of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair.*]

निजि थैलियों और हरियाणा विधान सभा के स्थगन के बारे में
RE : PRIVY PURSES AND ADJOURNMENT OF HARYANA ASSEMBLY

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. There are only two items on the agenda *viz.* Presentation of Budget and Finance Bill for the next year by the Prime Minister. But the Bill regarding abolition of privy purses has not been included in it, as committed earlier The second thing is that the Constitution has been violated in Haryana. Such a Government has no moral or constitutional right to present the budget oir the Finance Bill. I may be allowed to move a motion under rule 340 that the proceedings of the House may be adjourned and President's rule may be imposed in Haryana.

Besides the hon'ble Minister of Home Affairs may first introduce the Bill to abolish privy purses and thereafter the budget and Finance Bill may be presented...(*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : सभा की यह नियमित बैठक नहीं है । आज केवल आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा ।...(व्यवधान)

Shri Rabi Ray (Puri) : Since there is an extraordinary situation in Haryana, we should be allowed to raise that mattet in the House.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकार कर उस पर चर्चा करने के लिये समय भी निश्चित कर दिया गया था । इसके पश्चात हरियाणा सरकार ने आग्रह किया कि विधान-सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय । इस असंवैधानिक सुझाव को स्वीकार कर लिया गया यह एक अभूनपूर्व स्थिति है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : In case the constitution is violated in any part of the country and there is rape of parliamentary democracy, this House cannot be expected to be a silent spectator. I request that the House may be allowed to discuss what bas happened in Haryana.

श्री पालु मोदी (गोधरा) : क्या प्रधान मन्त्री भी इस सभा को भंग कर देंगी यदि सभा में उनका बहुमत न रहे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The minority Government in Haryana should be dismissed in accordance with Article 356.

अध्यक्ष महोदय : आय-व्ययक के बारे में जो बात कही गई है वह गत वर्ष भी उठाई गई थी और अध्यक्ष ने उस पर विनिर्णय दे दिया था । जहां तक निजी थैलियों का संबंध है, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस सभा में किसी भी समय किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं है । गृह-कार्य मंत्री यदि चाहें, तो अब या बाद में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं । अब आय-व्ययक पेश किया जायेगा । जहां तक हरियाणा का संबंध है, यदि नियमित रूप से कोई प्रस्ताव रखा गया और मैं उससे सहमत हुआ तो उस पर सभा की आगामी बैठक में अर्थात सोमवार को विचार किया जा सकेगा । यह एक राजनैसिक मामला है जिसकी संवैधानिक पृष्ठ-भूमि है । आप अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं । उसके बाद मैं उसपर विचार करूंगा । आप अधिक उत्तेजित न हों । अब श्री यशवन्त राव चव्हाण एक वक्तव्य देंगे ।

गृह-कार्य मन्त्री (**श्री यशवन्त राव चव्हाण**) : मैं इस बात को कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि सरकार ने भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों और उनके विशेषाधिकार को समाप्त करने का निर्णय किया है क्योंकि ये समाजवादी ढांचे के अनुकूल नहीं हैं । सरकार के उपर्युक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये विचार-विमर्श किया जा रहा है । राज्य सभा में संकल्प पारित किये जाने के पश्चात हमने भूतपूर्व शासकों के प्रतिनिधियों के साथ दो बार बातचीत की है जिसमें मैंने वह स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष संसद के आय-व्ययक सत्र में निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का इरादा है और संक्रमणकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है जिससे भूतपूर्व शासक अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकें ।

20 फरवरी को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के संबंध में कानून बनाने की घोषणा की है । इस प्रकार राज्य सभा में पारित किए गये संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये निश्चित कार्यवाही की गई है । आवश्यक विधेयक को संसद के चालू वर्ष में ही पुरःस्थापित किया जायेगा ।

सामान्य आयव्ययक, 1970-71

GENERAL BUDGET, 1970-71

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (**श्रीमती इंदिरा गांधी**) : मैं 1970-71 के वर्ष का बजट प्रस्तुत कर रही हूँ । वार्षिक बजट एक अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हम क्रमशः अपनी विकास-योजनाएं पूरी करते चले आ रहे हैं ।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और बजट की रूपरेखा बताने से पहले, मैं संक्षेप में यह बताना चाहती हूँ कि इस विषय में सरकार की नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं।

यह सर्वमान्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उत्पादन-शक्ति का विकास न हो और राष्ट्रीय आय न बढ़े। यह भी सच है कि इस विकास और आय की वृद्धि को सदा बनाए नहीं रखा जा सकता जब तक कि समाज के कमजोर वर्गों की भलाई का उचित ध्यान न रखा जाए।

अतः इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करना आवश्यक है जिनमें विकास की आवश्यकता के साथ-साथ जरूरतमन्दों और गरीबों की भलाई का भी ध्यान रखा गया हो। इस प्रकार के उपाय करने होंगे जो जन कल्याण करने के साथ-साथ उत्पादन-शक्तियों को भी तीव्र गति दें। जब-जब विकास और समभाव की आवश्यकताओं के बीच परस्पर जीवन सम्बन्ध टूटेगा, तब-तब गतिहीनता और अस्थिरता उत्पन्न होगी। इस गतिहीनता और अस्थिरता दोनों से बचने की आवश्यकता है।

बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों की व्यवस्था कर देना उनकी भलाई का कार्य ही नहीं है परन्तु यह हमारे जैसे गरीब देश के विकास-कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग भी है क्योंकि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग न होने से या बिल्कुल उपयोग न होने से हमारा काम नहीं चल सकता। बारानी खेती के इलाकों के विकास की ओर अधिक ध्यान देने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विषमताएं दूर होंगी अपितु यह कृषि के उत्पादन में लगातार वृद्धि करने के कार्यक्रम का एक अत्यावश्यक अंग है। छोटे उद्यमों और नये उद्यम-कर्ताओं को प्रोत्साहन देने से प्रतिभावान उद्यमकर्ता और प्रबन्धक उत्पन्न होंगे जिनकी हमारे देश में इस समय बहुत कमी है। शहरी सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व और शहरी जमीन की कीमतों पर कुछ रोक लगाये बिना हम आवास और अन्य सुख-सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं कर सकते। यह विकास हमारे घने बसे हुए नगरों और शहरों में अब तक किए गए विशाल उत्पादक पूंजी निवेश का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आवश्यक हैं। समाज के कमजोर वर्ग भी हमारी सम्भावित शक्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं। हम अपने सीमित साधनों से समाज की सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। परन्तु तत्काल उत्पादक परिव्ययों में और उन परिव्ययों में, जो कि आगे चल कर विकास में सहायक होने वाले सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बनाने और बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं, परस्पर सन्तुलन सदा रखना होगा।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : On a point of order, Sir. We are not able to hear this budget speech in Hindi.....

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : We want to hear the budget speech in Hindi but this apparatus is not working properly.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जिन भाषाओं में भाषा सुनने की यहां पर सुविधा उपलब्ध है हमें उनमें भाषण सुनने का अधिकार है। यंत्र में क्या खराबी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की अन्तर्बाधायें नहीं डाली जानी चाहिये। हिन्दी अनुवाद यंत्र में कुछ खराबी हो गई है। उसे चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आयव्ययक सम्बन्धी भाषण की प्रतियां यहां पर पढ़ने पहले ही प्रैस गैलरी में बांट दी गई थी ?

Shri Hukam Chand Kachwai : I cannot hear the budget speech in Hindi. I am walking out in protest.

श्री हुकम चन्द कछवाय तब सभा-भवन से बाहर चले गये ।
Shri Hukam Chand Kachwai then left the House.

श्रीमती इंदिरा गांधी : इस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसमें विकास को तेज करने के लिए पहले से अधिक जोरदार कोशिश करने की गुंजाइश और वस्तुतः आवश्यकता भी है । चौथी आयोजना के पहले वर्ष 1969-70 में कुल मिलाकर 5 से $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से विकास होने की पूरी सम्भावना है । भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम भली भांति चल रहा है, और इससे औद्योगिक उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है । हमारी विदेशी मुद्रा की राशि में भी वांछित वृद्धि हुई है : और पिछले दो वर्षों में मूल्यों का सामान्य स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है । यह भी आवश्यक है कि कई क्षेत्रों में नई उत्पादन क्षमता स्थापित की जाए ताकि खपत, निर्यात और रोजगार के बढ़ते हुए स्तरों को बनाए रखा जा सके ।

यदि इस समय उपलब्ध विकास के अवसरों का पूरा उपयोग करना है तो आगामी वर्ष में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने बजट में, विकास कार्यों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी । कृषि, छोटे उद्योगों और निर्माण-कार्यों में पिछले कुछ समय से काफी गैर-सरकारी पूंजी लगाई जा रही है, और उद्योगों के संगठित क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए फिर से दिलचस्पी पैदा हो रही है । सरकारी क्षेत्र में आयोजना-परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करने से गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने के कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा ।

आयोजना के लिए काफी अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने के अलावा, 1970-71 के बजट में अनेक ऐसी योजनाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के साथ-साथ भावी विकास की सम्भाव्यता को भी बढ़ाना है ।

सामाजिक न्याय और स्थिरता के साथ विकास की समस्याओं के प्रति इस ठोस एवं रचनात्मक दृष्टिकोण से ही हमने अभी हाल के महीनों में अपनी आर्थिक नीति को एक नया बल और प्राथमिकता सहित महत्व प्रदान किया है । बैंकों के जिस राष्ट्रीयकरण को इस सभा में और देश भर में प्रबल समर्थन मिला है उसकी बुनियाद जल्दी ही मजबूत हो जाएगी, ऐसी मेरी धारणा है । आशा है, एकाधिकार अधिनियम और औद्योगिक लाइसैंस नीति जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय आर्थिक शक्ति को चन्द हाथों में इकट्ठी होने से रोकेंगे और छोटे तथा नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देंगे । इसके साथ ही, प्रतिष्ठित औद्योगिक कम्पनियां मूल (कोर) क्षेत्र में अपना काम कर सकेंगी और ऐसे उद्योग चलाएंगी जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं तैयार करते हैं । यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे चुने हुए पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के कार्य करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें । चौथी आयोजना में अब कुछ परिवर्तन किया जा रहा है जिससे

सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इनमें से कुछ जरूरतें हैं— बारानी खेती के लिए उपयुक्त तकनीकें निकालना, भूमि-हीन मजदूर के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना और हमारे घने बसे हुए अनेक महानगरीय क्षेत्रों के वातावरण में सुधार करना।

संशोधित अनुमानों के अनुसार, अब 1969-70 में केन्द्र स्तर पर 290 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है जो कि बजट अनुमानों में 254 करोड़ रुपये आँका गया था। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में दी जाने वाली रकम में, बजट अनुमानों की तुलना में 104 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि अधिकतर वित्त आयोग के फैसले के परिणामस्वरूप हुई है। राज्यों को उनके आयोजनागत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये सहायता देने के उद्देश्य से, आयोजना-भिन्न सहायता के रूप में 275 करोड़ रुपये की काफी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। आयात में लगातार गिरावट आने के फलस्वरूप, आयात-शुल्क की वसूली और विदेशी सहायता की प्राप्ति, बजट अनुमानों के अनुसार, होने की सम्भावना नहीं है। दूसरी ओर, आय-कर और कर-भिन्न राजस्व तथा बाजार-ऋण के रूप में जो रकमें प्राप्त होंगी वे अनुमानित रकम से अधिक होंगी।

कई राज्यों के पास अब भी पर्याप्त साधन नहीं हैं और इससे उनको आयोजनागत लाभप्रद कार्यक्रम चालू करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए इन राज्यों की विशेष सहायता के लिए पहले से ही व्यवस्था कर देना समझदारी होगी। अतः, कुछ राज्यों के साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के बजट में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। राज्यों को दी जाने वाली आयोजनागत सहायता के रूप में इस वर्ष 615 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अगले वर्ष के लिए इस व्यवस्था को बढ़ाकर 635 करोड़ रुपया किया जा रहा है। यदि राज्य सरकारें अतिरिक्त साधन जुटा सकेंगी और आयोजना-भिन्न खर्च पर पूरी निगरानी रख सकेंगी तो सम्भवतः वे इस वर्ष के लगभग 950 करोड़ रुपये के अपने आयोजना-परिव्यय को अगले वर्ष लगभग 1150 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि कर सकेंगी।

केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के खर्च सहित केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय को जो इस वर्ष 1223 करोड़ रुपये था, अगले वर्ष 1411 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का विचार है; इस प्रकार इसमें 15 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अगले वर्ष केन्द्र की आयोजना में कृषि और तत्संबंधी कार्यक्रमों के लिए 39 करोड़ रुपये अधिक, परिवहन और संचार के लिए 84 करोड़ रुपये अधिक, बिजली के लिए 31 करोड़ रुपये अधिक और परिवार नियोजन सहित सामाजिक सेवाओं के लिए 28 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। संघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजना-परिव्यय को भी 66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 76 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजना-परिव्यय को एक साथ मिला कर देखा जाय तो पता चलेगा कि उसमें 1970-71 में, 1969-70 के 2239 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2637 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है अर्थात् उसमें 400 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि विकास की गति को बढ़ाने के अब जोरदार प्रयत्न करने के लिए की

जा रही है । बजट में आयोजना-परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था के अलावा, उद्योग और कृषि क्षेत्र को सहायता देने के लिए, अगले वर्ष वित्तीय संस्थाओं से भी पहले से अधिक साधन जुटाए जाएंगे । आशा है, आयोजना-परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से और संस्थागत वित्त की पहले से अधिक व्यवस्था किए जाने से, आगामी वर्ष में रोजगार के अवसर भी पहले से काफी अधिक बढ़ जाएंगे ।

आयोजनागत व्यवस्था और संस्थागत वित्त की सहायता से ग्रामीण विकास के जिन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा उनको संक्षेप में एक ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है । यह ज्ञापन माननीय सदस्यों को अलग से वितरित किया जा रहा है । इस ज्ञापन में कुछ ऐसी नई योजनाओं की भी रूपरेखा दी गई है जिनमें विकास के साथ-साथ समाज के सबसे अधिक जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को भी पहले से अधिक ध्यान में रखा गया है । अत: मैं यहां इनका उल्लेख संक्षेप में ही करूंगी ।

(क) छोटे किसानों की भलाई के लिए विशेष योजनाएं 45 जिलों में चालू की जा रही हैं और बारानी खेती की तकनीकों पर चल रहे अनुसंधान कार्य में और तेजी लाई जा रही है ।

(ख) कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर प्राय: अकाल-पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों में, निर्माण कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । यह रकम आयोजना से बाहर होगी और वर्ष के दौरान सूखे से राहत देने के लिए निर्धारित रकम का एक हिस्सा होगी ।

(ग) एक नगर विकास निगम स्थापित किया जा रहा है जिसकी अधिकृत शेयर-पूंजी 10 करोड़ रुपया होगी । निगम अपनी शेयर-पूंजी की अनुपूर्ति के लिए बाजार से भी ऋण लेगा और गंदी बस्तियों को हटाने, आवास व्यवस्था करने तथा शहरी जमीन के विकास आदि के कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते एक आवर्तक निधि (रिबोल्विंग फंड) स्थापित करेगा ।

(घ) पीने के पानी की व्यवस्था के लिए चौथी आयोजना में काफी बड़ी राशि रखी गई है । मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि इस रकम का अधिकांश भाग, बड़े नगरों में पहले से मौजूद सुविधाओं को सुधारने की बजाय, उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाए जहां यह मूल आवश्यकता आसानी से पूरी नहीं होती ।

(ङ) जो औद्योगिक कर्मचारी, अपने वेतन के 8 प्रतिशत की दर से कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करते हैं उनको अधिक व्यापक रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है नियोजकों (एम्प्लोयर) और कर्मचारियों के अंशदान के एक भाग के साथ सरकार का अंशदान मिलाकर एक अलग निधि स्थापित की जाए जिसमें से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की सूरत में, परिवार-पेंशन और एक-मुश्त रकम की भी अदायगी की जाएगी ।

(च) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और परिवार-पेंशन की न्यूनतम राशि

को बढ़ाकर 40 रुपया प्रति मास करने का प्रस्ताव है। यह निर्णय उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के मामले में लागू होगा जो इस समय पेंशन ले रहे हैं और जो भविष्य में पेंशन पाने के हकदार होंगे औद्योगिक कर्मचारियों की जिस योजना का मैंने कुछ ऊपर उल्लेख किया है उसमें भी प्रति मास 40 रुपये की न्यूनतम परिवार-पेंशन की व्यवस्था की गई है।

(छ) बच्चों को स्कूलों में भोजन देने आदि की जो योजनाएं इस समय चल रही हैं उनकी अनुपूर्ति करने की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम के साथ प्रारंभिक कदम उठाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आदिम जातीय विकास खंडों और शहरों के गंदे मोहल्लों में रहने वाले बच्चों के लिए बजट में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं की सहायता से इस कार्यक्रम को समय-समय पर बढ़ाया जाएगा।

करों की वर्तमान दरों के अनुसार, राजस्व की राशि जो इस वर्ष 3587 करोड़ रुपये थी, बढ़कर अगले वर्ष 3867 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। राज्यों को सांविधिक राशियों का अन्तरण (स्टैच्यूटरी ट्रान्सफर) करने के बाद, केन्द्र के लिए उपलब्ध राजस्व की प्राप्तियां 2965 करोड़ रुपये से बढ़कर 3167 करोड़ रुपये हो जाएंगी। राजस्व-व्यय में भी अगले वर्ष 176 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है इसमें से 68 करोड़ रुपये का खर्च आयोजनागत योजनाओं पर और 108 करोड़ का खर्च आयोजना-भिन्न मदों पर होगा। आयोजना-भिन्न कुल व्यय को कम से कम करने का प्रयत्न किया गया है फिर भी उसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

माननीय सदस्यों को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध आंतरिक साधन जो इस वर्ष 162 करोड़ रुपये के थे, अगले वर्ष बढ़कर 202 करोड़ रुपये के हो जाएंगे। अनुमान है कि अगले वर्ष 162 करोड़ रुपये के बाजार-ऋण मिल जाएंगे, इस वर्ष इन ऋणों की राशि 141 करोड़ रुपये थी। पी०एल० 480 और अन्य खाद्य सहायता के अंतर्गत प्राप्त होने वाली रकमें, जिनमें राजस्व खाते की कुछ प्राप्तियां भी शामिल हैं, इस वर्ष की 239 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, 1970-71 में घटकर 161 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। अन्य मदों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता की रकम बहुत-कुछ इस वर्ष जितनी ही रहेगी। आयोजना के लिए और आयोजना के बाहर राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए की गई व्यवस्था समेत अन्य मदों को हिसाब में लेने के बाद, पूंजी-खाते में 365 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। राजस्व-खाते में 15 करोड़ रुपये का मामूली अधिशेष रहने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली बढ़ रही है, इसलिए और विकास करने के लिए ग्रामीण बचतों को जुटा कर काम में लाना बहुत जरूरी हो गया है। बचत जुटाने की ऐसी योजनाएं अधिक आकर्षक होंगी जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए हों। अतः राज्य-प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी

किए जाने वाले ऋण-पत्रों (डिबेंचर) की एक आदर्श योजना तैयार की गई है और आशा है कि इस योजना के अनुसार जारी किए गए ग्रामीण ऋण-पत्र ग्रामीण बचतों को व्यवस्थित रूप से जुटाने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम बन सकेंगे। बैंकों की शाखाओं को गांवों में खोलने से भी यही प्रयोजन सिद्ध होगा। आज भी, हमारे डाकघर ऐसे बहुत से स्थानों में चल रहे हैं जहां निकट भविष्य में बैंक खुलने की सम्भावना नहीं है। अतः डाकघरों को भी, अधिक बचत जुटाने के काम में लगाने की जरूरत है। इस समय हमारी छोटी बचत योजनाएं, जिनमें डाकघर बचत बैंक खाते भी शामिल हैं, करों में कई प्रकार की रियायतों के साथ बचत करने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। किन्तु कर सम्बन्धी इन रियायतों में ग्रामीण जनता या कम आय वाले वर्गों के लोगों को कोई खास दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इन लोगों को, अधिकतर, आय-कर नहीं देना पड़ता। इन वर्गों के लिए तो संगत कर सम्बन्धी रियायतों के साथ ब्याज की नीची दर की बजाय, ब्याज की ऊंची दरें अधिक आकर्षक होंगी। इसलिए बचत-पत्रों आवर्ती जमा और सावधि जमा की ऐसी नई सिरीज चालू करने का विचार है जिनपर, कर की विशेष रियायतें न होकर, ब्याज की दरें पहले से कुछ ऊंची होंगी। कर-मुक्ति की वर्तमान सुविधाएं भी ब्याज की थोड़ी-सी ऊंची दरों के साथ, चालू रहेंगी। सामान्य भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि के अंशदानों पर ब्याज की दर में भी कुछ वृद्धि की जाएगी। हमारे कर संबंधी ढ़ाचे में कुछ परिवर्तनों का उल्लेख करने के लिए मुझे बाद में मौका मिलेगा। ये परिवर्तन अधिक बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य किए जा रहे हैं। एक ज्ञापन अलग-से वितरित किया जा रहा है जिसमें इन सब परिवर्तनों का पूरा ब्योरा दिया गया है।

भाग—ख

अभी मैंने 1970-71 के लिये व्यय के जो प्रस्ताव रखे हैं, उनका उद्देश्य समाज के कम सुविधाप्राप्त वर्गों के सामाजिक कल्याण के कुछ उपायों के लिए खर्च की व्यवस्था करने के साथ-साथ विकास को बढ़ावा देना है। सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जुटाने के सम्बन्ध में भी, सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास की बातों को ध्यान में रखना होगा।

भारत जैसे देश में जहां पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने की अधिकांश जिम्मेदारी सरकार पर है, यह आवश्यक है कि सरकार के बजट में पूंजी खाते की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व खात में काफी बड़ी रकम बचनी चाहिए। यह ऐसी स्थिति में और भी अधिक आवश्यक है जबकि अनाज के रियायती आयात और विदेशी सहायता की वास्तविक प्राप्तियों में कम से कम समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के अनुसार, कमी हो रही है। करों की मौजूदा दरों के अनुसार, 1970-71 के बजट खाते में केवल नाम मात्र अधिशेष (सरप्लस) रहेगा। भारत उन देशों में से है जहां राष्ट्रीय आय के प्रति करों का अनुपात संसार में सबसे कम है। 1965-66 में यह अनुपात 14 प्रतिशत से कुछ ऊपर था और अभी हाल ही में यह इससे नीचा हो गया है। अतः समाज कल्याण और विकास की सतत आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए, कर-आधार को और विस्तृत करने की जरूरत है।

कर-आधार को विस्तृत करते समय, सर्व प्रथम हमें इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी कि लोग पहले से लगाये गये करों की चोरी करने या उनसे बच निकलने के ऐसे

उपाय न कर सकें कि वे कानून की गिरफ्त में भी न आयें। अतः मैंने, हमारी कराधान-पद्धति में मौजूद, करों से बच निकलने के कुछ बड़े रास्तों को बन्द करने और कुछ अनुपयोगी रियायतों को वापस लेने का प्रयत्न किया है। कराधान आधुनिक समाज में आय और सम्पत्ति के क्षेत्र में अधिक समानता को प्राप्त करने का एक बड़ा माध्यम है। अतः इस प्रयोजन के लिए अपनी प्रत्यक्ष कराधान पद्धति का उपयोग करने का प्रस्ताव है और इसके लिए ऊंचे स्तरों पर आय-कर को बढ़ाने और दान तथा संपत्ति करों की वर्तमान दरों को भी काफी ऊंचा करने का विचार किया गया है। शहरी जमीन की कीमतों और व्यक्तिगत शहरी संपत्ति की अनाप-शनाप वृद्धि को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहरी जमीनों और इमारतों पर लगे कर को भी काफी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, बचतों को बढ़ावा देने के लिये इस समय उपलब्ध रियायतों को भी युक्ति संगत बनाया जा रहा है जिससे कि वे और अधिक प्रभावकारी सिद्ध हों। कम आय वाले वर्गों को प्रत्यक्ष करों में कुछ सीमान्तिक (मार्जिनल) राहत देने का भी विचार है। अधिक उत्पादन और पूंजी-निवेश (इन्वेस्टमेंट) को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निगम कर (कारपोरेट टैक्स) में कोई खास परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय कर-राजस्वों का लगभग 75 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करों अर्थात् सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से मिलता है। अतः राजस्व व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न करते समय अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने की जो गुंजाइश है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र में जो प्रस्ताव किये जा रहे हैं उनका प्रमुख उद्देश्य इस तरीके से अतिरिक्त साधन जुटाना है जिससे कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने और कुछ वस्तुओं के उपभोग (खपत) को सीमित रखने में सहायता मिले। उपभोग को सीमित रखने का यह कार्य आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। निवेश-वस्तुओं या उत्पादक वस्तुओं पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है और अधिकतर कर-वृद्धि अन्तिम उपभोक्ता वस्तुओं पर ही की गई है। सामान्य उपभोग की वस्तुओं को छूने की जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है, वहां समाज के अपेक्षाकृत अधिक गरीब वर्गों के उपभोग की वस्तुओं को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है।

प्रत्यक्ष कराधान

आय-कर की सीमान्तिक दरें प्रति वर्ष 40,000 रुपये से ऊपर की सभी प्रकार की व्यक्तिगत आय पर उत्तरोत्तर बढ़ाई जाएंगी। 10 प्रतिशत के हिसाब से अधिप्रभार (सरचार्ज) जुड़ने से, 97.5 प्रतिशत की अधिकतम दर अब 2 लाख रुपये से ऊपर के खण्ड (स्लैब) में लागू होगी जो इस समय 2½ लाख रुपये से ऊपर के खण्ड में 82.5 प्रतिशत की दर से लागू होती है।

साथ ही, साधारण संपति कर की वर्तमान दरों को भी बढ़ाया जा रहा है। इस समय, ये दरें 0.5 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक हैं। वे अब निम्नतम खण्ड पर 1 प्रतिशत से लेकर उच्चतम खंड पर 5 प्रतिशत तक होंगी। ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी समस्त आय संपत्ति से ही होती है, इस समय प्रस्तावित आय और सम्पति करों का सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि कर देने के बाद जब आय लगभग 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की अवस्था में पहुंचेगी तो उस पर

प्रभावकारी उच्चतम सीमा वस्तुत: लागू हो जायेगी। इसका एक फल यह भी निकलेगा कि उपार्जित आय के लिए स्वत: प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब आय पूर्णत: उपार्जित होगी तब कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी क्योंकि 93.5 प्रतिशत का उच्चतम सीमान्तिक कर, सभी स्तरों पर, कर देने के बाद, आय में वृद्धि करने के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ेगा।

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि हम इस समय शहरी सम्पति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के व्यावहारिक उपायों की जांच कर रहे हैं। जबकि इस विषय के कानूनी और अन्य पहलुओं पर विचार हो रहा है, शहरी जमीनों और इमारतों पर अतिरिक्त संपत्ति-कर बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्र को इस समय प्राप्त अधिकारों की सीमा में रहते हुए, शहरी सम्पति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को, कुछ हद तक तो पूरा किया जा सके। इस समय, व्यक्तियों (इंडिविड्यूअल्स) और हिन्दू अविभक्त परिवारों के मामले में, शहरी जमीनों और इमारतों पर अतिरिक्त संपत्ति-कर ऐसी जमीनों और इमारतों के मूल्यों पर लगता है जो एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में स्थित हैं; और विभिन्न श्रेणियों के नगरों में 4 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की प्रारम्भिक छूट मिलती है। शेष राशि पर 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की दरों से कर लगता है। जब शहरी जमीनों और इमारतों की कीमत 19 लाख रुपये से 22 लाख रुपये तक के स्तर से ऊपर हो जाती है तो उच्चतम दर लागू हो जाती है। अब 5 लाख रुपये से ऊपर के मूल्य की शहरी जमीनों और इमारतों पर 5 प्रतिशत की दर से और 10 लाख रुपये से ऊपर के मूल्य की शहरी जमीनों और इमारतों पर 7 प्रतिशत की दर से एक कर लगाने का प्रस्ताव है। जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित हो उसकी जनसंख्या के आधार पर छूट देकर कोई भेद भाव नहीं बरता जाएगा। शहरी क्षेत्र की परिभाषा की सीमा भी बढ़ाई जा रही है, इसके अनुसार 10,000 या उससे ऊपर की जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र उसमें शामिल किये जाएंगे जो किसी नगरपालिका या अन्य ऐसे ही प्राधिकरण (अथारिटी) की सीमाओं में स्थित हों, और ऐसी सीमाओं से बाहर 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, अधिसूचना द्वारा शामिल करने की शक्ति दी जायेगी। व्यवसाय परिसर (बिजनेस प्रेमिसिस) को प्रस्तावित कर से मुक्त रखा जाएगा जैसा कि इस समय है किन्तु, कर देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/परिवारों के अतिथि गृहों को व्यवसाय-परिसर की कोटि में नहीं रखा जायेगा। व्यक्तियों के या संयुक्त हिन्दू परिवार के स्वामित्व से भागीदारी फर्मों, व्यक्तियों के संघों और अल्पजनधारित कम्पनियों के स्वामित्व में सम्पत्ति का अन्तरण करके कर से बच निकलने के रास्ते को रोकने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार का एक और प्रयोजन सिद्ध करने के अभिप्राय से एक अन्य उपाय किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि-भूमि के अन्तरण या बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभों पर कर लगाया जाएगा।

निजी न्यास (प्राइवेट ट्रस्ट) बना देना भी करों की चोरी करने या उनसे बच निकलने की एक बड़ी युक्ति है। इस समय,विवेकाधीन (डिसक्रीशनरी) न्यासों की आय और सम्पति पर उन्हीं दरों से कर लगता है जो दरें व्यक्ति के मामले में लागू होती हैं। इन नीची दरों से कर लगने के कारण ऐसे न्यासों की बाढ़-सी आ गई है। प्रस्ताव है कि भविष्य में, विवेकाधीन न्यासों की आय पर 65 प्रतिशत की समान दर से और उनकी संपत्ति पर 1.5 प्रतिशत की समान दर

से या व्यक्तियों के मामले में लागू दर से—दोनों दरों में से जो भी ऊंची होगी—कर लगाये जायेंगे। फिर भी, कुछ प्रकार के मौजूदा विवेकाधीन न्यासों के लिए इन समान दरों से छूट देने की व्यवस्था की जा रही है।

पूर्त या धार्मिक न्यासों के मामले में, कर से छूट केवल उसी आय के संबंध में मिलेगी जो उसी वर्ष या उस वर्ष की समाप्ति के बाद 3 महीनों के भीतर न्यास के प्रयोजनों में वस्तुतः लगा दी गई हो। इसके अलावा, ऐसे न्यास इस छूट से पूरी तरह वंचित रहेंगे, जिनकी रकम अर्थात मूल राशि या आय एक ऐसे प्रतिष्ठान (कंसर्न) में लगी हो जिसमें न्यास का प्रवर्तक या संस्थापक या उसका कोई सम्बन्धी काफी हद तक हितबद्ध हो और लगाई गई रकम उस प्रतिष्ठान की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक हो। पूर्त और धार्मिक न्यास उद्योग और व्यवसाय पर अपना नियंत्रण रखने के लिए इन रकमों का इस्तेमाल करते हैं; अब इन व्यवस्थाओं से ऐसे न्यासों की इन प्रवृत्तियों पर रोक लग जाएगी। इन न्यासों के प्रवर्तक और संस्थापक कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी उठाते हैं, उनको ऐसा करने से रोकने के लिये भी कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं को इस समय कर से पूरी छूट है; यह छूट अब अस्पतालों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के मामले में भी दी जायेगी।

इस समय, एक रिहायशी मकान संपत्ति-कर से मुक्त होता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, यदि वह ऐसे स्थान में स्थित हो जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है। इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित मकानों के सम्बन्ध में छूट के लिए मूल्य की सीमा 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये की मूल्य-सीमा अब समान रूप से लागू होगी, रिहायशी मकान चाहे जहां स्थित हो।

संपदा शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) की दरों के साथ अधिक तारतम्य बैठाने के लिए दान-कर (गिफ्ट टैक्स) की दरों में भी परिवर्तन किया जा रहा है और एक वर्ष के दौरान दिये गये दानों के सम्बन्ध में इस समय जो 10,000 रुपये तक छूट देने की सीमा है वह घटाकर 5,000 रुपये तक की जा रही है।

जिनका संयोग परमात्मा ने किया है, उनका वियोग संसारी कर-संग्राहक नहीं कर सकता। इसी दृष्टि से, आय और सम्पत्ति करों के प्रयोजन के लिए, पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों की सम्पति और आय का भी संयोग कर दिया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रकार के मामलों में जबरदस्ती से लाई गई एकता कभी कभी बड़ी भारी फूट का कारण बन जाती है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस विषय में अधिक विस्तार से विचार किया जाए और इस सदन में और उसके बाहर भी इस पर विचार-विमर्श का अवसर देने के बाद ही आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जाय।

यूनिट ट्रस्ट में लगाई गई रकम से प्राप्त 1,000 रुपये तक और भारतीय कम्पनियों के शेयरों के लाभांशों (डिविडेंड) के रूप में प्राप्त और 1,000 रुपये तक की आय तथा अनेक अल्प बचत योजनाओं और डाकघर बचत खातों की रकमों पर अर्जित ब्याज की पूरी राशि, इस समय आय-कर से मुक्त है। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि इन निवेशों (इन्वेस्टमेंट) और अन्य वित्तीय

परिसम्पतियों में किये गये निदेशों के बीच कोई अन्तर रखा जाय। वित्तीय परिसम्पत्तियों के निवेश हैं ; केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां (सिक्यूरिटीज), अनुमोदित ग्रामीण ऋण पत्र, बैंकिंग कम्पनियों, सहकारी बैंकों और भूमि बंधक या भूमि विकास बैंकों में जमा रकमें और नई अल्प बचत योजनाओं और डाकघर जमा खातों में जमा रकमें, जिनके सम्बन्ध में कर सम्बन्धी कोई विशेष रियायतें नहीं दी जानी हैं। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि 3,000 रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त रखा जाये, यदि वह यूनिट ट्रस्ट में किये गये निवेशों से या भारतीय कम्पनियों के शेयरों से अथवा मैंने अभी ऊपर जिन श्रेणियों का उल्लेख किया है उनमें से किसी श्रेणी के निवेशों से हुई हो। अल्प बचत योजनाओं और डाकघर बचत खातों के सम्बन्ध में, जहां कर सम्बन्धी विशेष रियायतें उपलब्ध हैं, अतिरिक्त छूट आगे भी मिलती रहेगी।

इसी प्रकार, एक प्रस्ताव यह भी है कि व्यक्तियों के सम्बन्ध में 1 लाख रुपये की और हिन्दू अविभक्त परिवारों के सम्बन्ध में 2 लाख रुपये की तथा 1 लाख रुपये तक के मूल्य के रिहायशी मकान के सम्बन्ध में जो सामान्य छूट इस समय दी जा रही है उसके अलावा, कुल 1.5 लाख रुपये तक के विभिन्न प्रकार की वित्तीय परि-सम्पत्तियों में किये नये निवेशों को भी सम्पत्ति कर से मुक्त रखा जाये। आज भी स्थिति यह है कि निर्दिष्ट अल्प बचत पत्रों, डाकघर बचत खातों और केन्द्रीय सरकार के पास पंचवर्षीय सावधि जमा में किये गये निवेशों पर सम्पत्ति कर नहीं लगता और इन व्यवस्थाओं का जो अधिकतम लाभ उठाना चाहता है वह 1.2 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है। 1.5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई सीमा में अब यूनिट ट्रस्ट, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रति भूमियों, अनुमोदित ग्रामीण ऋण-पत्रों नई अल्प बचत योजनाओं तथा डाकघर जमा खातों और बैंकिंग कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा भूमि बंधक या विकास बैंकों में जमा रकमों में किये गये निवेश शामिल हो जायेंगे।

दूसरी ओर, बचतों को प्रोत्साहन देने की इन व्यवस्थाओं को सामान्य बना देने के बाद अब ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि नये सामान्य शेयरों में किये जाने वाले निवेशों से संबंधित प्रतिदेय कर प्रमाण पत्रो (टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट) की योजना को आगे जारी रखा जाए। अतः 31 मार्च 1970 के बाद नये सामान्य शेयरों के सम्बन्ध मे इन प्रमाण-पत्रों को बन्द कर दिया जायेगा। जीबन बीमा, भविष्य निधियों आदि से सम्बधित अंशदानों के विषय में इस समय जो रियायतें मिल रही हैं, वे आगे भी मिलती रहेंगी।

समय-समय पर, यह सुझाव दिया जाता रहा है कि आय-कर से सम्बन्धित छूट की सीमा को बढ़ा दिया जाए जिससे कि निम्न आय वाले वर्गों को राहत मिले और कर-सम्बन्धी प्रशासन भी अधिक अच्छा हो जाये। इस बात को आग्रह के साथ कहा गया है कि आय-कर के व्याप्ति-क्षेत्र से बड़ी संख्या में छोटे कर दाताओं को बाहर कर दे। से, आयकर अधिकारियों को ऐसे बड़े मामलों पर ध्यान देने के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा जिन मामलों में अपेक्षा-कृत अधिक राजस्व मिल सकता हो। हमारे जैसे गरीब देश में, वर्तमान छूट की सीमा को जो आश्रितों की संख्या के अनुसार 4,000 रुपये से 4,800 रुपये तक होती है, देश में आय के औसत स्तरों को देखते हुए, अनुचित रूप से नीचा नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इस दलील में भी काफी बल दिखाई देता है कि कर-प्रशासन में सुधार होगा यदि आय-कर प्राधि-

कारियों को छोटे मामलों में इतना अधिक समय न लगाना पड़े । इस दुविधा की स्थिति में मैंने परिवार नियोजन के बड़े न्यायालय की शरण में जाने का निश्चय किया है और मेरा विचार है कि आश्रितों की संख्या के अनुसार मिलने वाली छूट की वर्तमान पद्धति को समाप्त कर दिया जाये । भविष्य में, सभी प्रकार के अनिगमित (नांन-कांरपोरेट) करदाताओं के सम्बन्ध में चाहे वे विवाहित हों या कितने ही बाल-बच्चे वाले हों, सबके लिए 5,000 रुपये की समान छूट-सीमा लागू होगी । इससे प्रशासन में भी अधिक सरलता होगी, और सभी आय-कर दाताओं को थोड़ा-सा लाभ मिलेगा; हांलाकि ऐसे लोगो को अधिक राहत मिलेगी जो विवाह-बन्धन या बाल बच्चों के जाल-जंजाल से मुक्ति की खोज में हैं छूट की सीमा में परिवर्तन करने से राजस्व की कुछ हानि होगी । परन्तु मैं इस प्रस्ताव को घाटे का सौदा नहीं समझता क्योंकि ऐसी आशा है कि बड़े कर-दाताओं के मामलों पर अधिक ध्यान दिये जाने के फलस्वरूप कर-प्रशासन में जो सुधार होगा वह इस हानि से कहीं अधिक मात्रा में राजस्व ला सकेगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि सभी वैतन-भोगी कर-दाताओं को, काम पर जाने के लिए की गई यात्रा के खर्च के बदले में, 20 रुपये प्रतिमास की न्यूनतम कटौती की सुविधा दी जाये । जो व्यक्ति बाइसिकल, मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड या मोटर गाड़ी से काम पर जाते हैं उनके मामलों में इस समय 5 रुपये प्रति से 250 रुपये प्रतिमास तक कटौती की जाती है । 20 रुपये प्रतिमास की कटौती अब उन सभी व्यक्तियों को मिलेगी जो साइकिल से या सार्वजनिक सवारी (पब्लिक कन्वेयेंस) अथवा अन्य किसी साधन से काम पर जाते हैं । साथ ही मोटर गाड़ी के लिए 250 रुपये प्रतिमास की ऊंची दर पर जो कटौती ऊंची आय वाले वर्गों के सम्बन्ध में लागू होती है, उसे कम करके 200 रुपये प्रतिमास किया जा रहा है क्योंकि यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता कि जिन लोगों के पास अधिक महंगी गाड़ियां हैं उनको अधिक कटौती की सुविधा दी जाये । कुल मिला कर, नीची आय वाले वर्गों को यात्रा सम्बन्धी रियायत देने से राजस्व में जो हानि होगी उसकी पूर्ति ऊंची आय वाले वर्गों को दी जाने वाली रियायत में कमी करने से प्राप्त लाभ से हो जायेगी ।

निवेश सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए स्थिर वातावरण बनाये रखने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि निगम-कराधान के वर्तमान ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन न किया जाय । केवल एक ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और वह यह है कि भारत में पेशों और व्यवसायों में मनोरंजन पर जो भी खर्च किया जायेगा उसे, लाभों का हिसाब लगाते समय, छोड़ा नहीं जायेगा । इसी प्रकार, अतिथि-गृहों की व्यवस्था पर कि जाने वाले खर्च को भी नहीं छोड़ा जायेगा, परन्तु कर्मचारियों द्वारा छुट्टी बिताने के लिए जो अवकाश-गृह (हाली डे होम) बनाये गये हैं, उनके मामले में यह नियम लागू नहीं होगा । जो लोग अपने व्यवसायी मित्रों द्वारा किये जाने वाले अतिथ्य-सत्कार का आनंद लेते हैं उन्हें यह सोच कर कि उनके सत्कार का कुछ खर्च वस्तुतः सरकारी खजाने से होता है, अब अपने उन मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता की भावना को कम करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

एक पूरे वर्ष में प्रत्यक्ष करों की वृद्धियों से कुल मिलाकर 36 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी । वस्तुतः, न्यासों के कराधान के लिए संशोधित प्रक्रिया जैसे कराधान-पद्धति

की खामियों को दूर करने के उपाय जब पूरी तरह प्रभावकारी हो जाएंगे तो राजस्व में और भी अधिक वृद्धि होगी। सम्पत्ति-कर के रूप में प्राप्त होने वाला अतिरिक्त राजस्व 1971-72 से ही मिल सकेगा। आय-कर से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी 1970-71 में, स्रोत पर कटौती और अग्रिम करके रूप में, केवल अंशतः ही होगी। अतः अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर लगाने के काफी उपाय करने के बावजूद भी, इन परिवर्तन से केन्द्र के साधनों में 1970-71 में केवल पांच करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। परन्तु 1971-72 में यह राशि 23 करोड़ रुपये हो जायेगी। राज्यों को 1970-71 में 10 करोड़ रुपये तक और 1971-72 में 13 करोड़ रुपये तक का लाभ मिलेगा।

अप्रत्यक्ष कराधान

अब अप्रत्यक्ष करों की ओर आइये। कुछ वस्तुओं के निर्यात शुल्क को कम करने या हटा देने का विचार है ताकि ये वस्तुएं विश्व-बाजार में सफलता के साथ प्रतियोगिता कर सकें। जूट कन्वैस, जूट वेबिंग, जूट तिरपाली कपड़े और उससे निर्मित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को 500 रुपए प्रति मैट्रिक टन से घटाकर 200 रुपए प्रति मैट्रिक टन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चाय के सम्बन्ध में है; इस पर निर्यात शुल्क पूरी तरह हटाया जा रहा है। साथ ही खुली चाय और पैकेट बन्द चाय पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही, निर्यातित चाय की कीमत के साथ घटती-बढ़ती हुई दरों से निर्यात पर तदर्थ रिबेट देने की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर, सभी किस्मों की चाय के निर्यात पर शुल्क का भार कम किया जा रहा है और अधिक ऊंची कीमत लाने वाली चाय की किस्मों को कुछ विशेष सुविधा (मार्जिन) दी जा रही है ताकि बढ़िया किस्मों की चाय के निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। निर्यात शुल्क कम करने से राजस्व में 9.75 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

आयात प्रतिस्थापन (इंपोर्ट सबस्टीट्यूशन) को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी पर आयात शुल्क 27½ प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। पर, यह वृद्धि उस मशीनरी पर लागू नहीं होगी जिसकी आवश्यकता सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में नई प्रयोजनायें स्थापित करने या वर्तमान प्रयोजनाओं में काफी बिस्तार करने के लिए होगी। मोटर गाड़ियों के पुर्जों, औषधीय रसायनों और बिना बिजली के यन्त्रों, उपकरणों और औजारों पर लगे आयात शुल्क में 10 प्रतिशत मूल्यानुसार वृद्धि होगी। कुछ प्रकार के प्लास्टिक सामान और नाइक्रोम तथा अन्य प्रकार के बिजली के प्रतिरोधी (रेजस्टेंस) तारों पर शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाएगा।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव है जो न तो आयातों का देशी उत्पादन से प्रतिस्थापन करने के अभिप्राय से और न ही राजस्व बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन उपभोग (कोन्स्पीक्युअस कंजम्प्सन) को कम करने के उद्देश्य से मैं व्हिस्की, ब्रांडी, जिन और अंगूरी शराब (वाइन) पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रस्ताव को आप चाहे व्यक्तिगत, चाहे राजनीतिक मेलमिलाप का एक छोटा सा माध्यम समझें।

उत्पादन-शुल्कों को जिन परिवर्तन के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी उनके अनुरूप

लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों समेत, आयात शुल्कों से अतिरिक्त राजस्व के रूप में 29.75 करोड़ रुपया प्राप्त होगा । इस प्रकार निर्यात शुल्क के घाटे को हिसाब में लेने के बाद, सीमा-शुल्क-राजस्व में 20 करोड़ रुपए का शुद्ध (नेट) लाभ होगा ।

बहुधा यह भी सुझाव दिया जाता रहा है कि उत्पादन-कराधान के क्षेत्र को इतना बढ़ा दिया जाय कि उसमें लगभग सभी प्रकार के निर्मित्त (मैन्यूफैक्चर्ड) वस्तुओं पर लगभग 10 प्रतिशत की नीची दर से कराधान किया जा सके । उतनी दूर तक जाने की बजाय, बहुत सी नई मदों पर जिनमें कार्यालय की मशीनें, धातु के पात्र, स्पार्किंग प्लग, स्टेनलैस स्टील के ब्लेड, स्लोटेड एंगल, लोहे की तिजोरियां और सेफ डिपोजिट वाल्ट शामिल हैं, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । शुल्क लगाने के उद्देश्य से कार्यालय की मशीनों में टाइप-राइटर मशीनें गणना मशीनें, रोकड़ रजिस्टर तथा चैक लिखने की मशीनें, कम्प्यूटर और अंतः संचार के साधन (इंटरकाम डिवाइसेज) जैसी मशीनें शामिल होंगी । धातु-पात्रों (मेटल कंटेनर) पर लगाया जाने वाला शुल्क उन्हीं पात्रों तक सीमित रहेगा जो बिक्री के लिए वस्तुयें रखने के काम आते हैं, इन पात्रों में पीपे, ढोल, डिब्बे कनस्तर, गैस के सिलिंडर और कठोर पात्र शामिल हैं । इन नए शुल्कों से 10.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा ।

इसी प्रकार, रासायनिक पदार्थों में से, कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रो-सल्फ़ाइट पर अब 10 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगेगा और सोडा ऐश और कास्टिक सोडे पर इस समय जो 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लग रहा है उसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जायेगा । कृत्रिम रबर पर भी 300 रुपए प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है । इन परिवर्तनों से राजस्व में 5.30 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी ।

तैयार और परिरक्षित (प्रीजर्व्ड) खाद्य पदार्थों पर गत वर्ष 10 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाया गया था । परन्तु एक परिपत्रद्वारा शुल्क का व्याप्ति-क्षेत्र परिरक्षित और डिब्बाबन्द फलों, मुरब्बों, जेलियों, फलों के रसों, स्क्वैशों और कुछ मांस-पदार्थों तक ही सीमित कर दिया गया था । मैं अब फलों और मांस के किए गए भेदभावपूर्ण बर्ताव को दूर करना चाहती हूँ और इसके लिए कुछ और पदार्थों—जैसे वनस्पति-रसों, कृत्रिम सिरपो और शर्बतों, निर्जलित मटरों, माल्टेड खाद्य पदार्थों, तुरत (इंस्टेंट) काफी, तुरत चाय, जैली क्रिस्टलों, कस्टर्ड और आइसक्रीम पाउडरों, बिस्कुटों, कोको पाउडर, पेय चाकलेट, पास्चुरीकृत मक्खन, संसाधित चीज, ब्राण्ड वाले वातित (एयरेटेड) जलों, ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोज को इस शुल्क के व्याप्ति-क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव करती हूँ । आशा है, माननीय सदस्य मेरी अपनी पसन्द के अनुसार शुल्क लगाने का आरोप मुझ पर नहीं लगायेंगे क्योंकि मेरे प्रस्तावों के अन्तर्गत भी वातित जलों, बिस्कुटों, मक्खन और चीज पर उसी हालत में शुल्क लगेगा जब कि ये शक्ति (बिजली) की सहायता से बनाए गए हों और बच्चों के खाद्य पदार्थ (बेबीफूड्स) और ब्राण्ड वाला देशी घी पूरी तरह से कर-मुक्त रहेंगे । इन प्रस्तावों से 8.68 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ।

पोर्सेलीन के चमकदार टाइलों और सेनीटरी सामान पर लगे हुए शुल्क को क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जायगा । कमरा-वातानुकूलों (रूम-

एयरकंडीशनर) पर लगे शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 53⅓ प्रतिशत कर दिया जायगा और 165 लिटर से अधिक की क्षमता वाले बड़े प्रशीतकों (रेफ्रिजिरेटर) के सम्बन्ध में भी ऐसी ही वृद्धि की जा रही है। प्रशीतकों, वातानुकूलक संयंत्रों और मशीनों के पुर्जों पर लगने वाला शुल्क भी 53⅓ प्रतिशत से बढ़ाकर 66⅔ प्रतिशत किया जा रहा है। परन्तु लोक न्यासों (पब्लिक ट्रस्ट) स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों तथा फैक्ट्री प्रतिष्ठानों के वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) के लिये और ठण्डे गोदामों के संयंत्रों (कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट्स) के लिए आवश्यक कलपुर्जों के सम्बन्ध में यह वृद्धि लागू नहीं होगी। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि छोटे आकार के प्रशीतकों (रेफ्रिजिरेटर) पर कोई असर न आए। मैं टेलीविजन सेटों को दी गई छूट को वापस लेकर उन पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव बड़े संकोच से करती हूँ। इन उपायों से राजस्व में 2.24 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

एल्यूमिनियम के मामले में, इस समय मात्रानुसार शुल्क (स्पेसिफिक ड्यूटी) लगते हैं; उनके बदले मूल्यानुसार शुल्क लगाये जा रहे हैं। कुछ अंश तक युक्तिसंगति बैठाने के बाद, इस परिवर्तन से 4.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कठोर प्लास्टिक बोर्डों और बिना सहारे की पी० वी० सी० चद्दरों पर लगे शुल्क को भी, उसका बोझ अन्तिम वस्तु (एंड-प्रोडक्ट) पर डाल कर, युक्तिसंगत बनाया जा रहा है और इससे 96 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

दो डेनियर या उससे कम के पोलिएस्टर धागे पर लगे बुनियादी उत्पादन शुल्क को 21 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम करने का और विशेष उत्पादन-शुल्क में भी तदनुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नकली रेशम के कपड़ों, जिनमें रेयन, नायलोन, टेरीलीन, टेरीकोट और टेरीवूल के कपड़े शामिल हैं, पर इस समय 7.8 पैसे प्रतिवर्ग मीटर के के हिसाब से सांकेतिक (नोमिनल) शुल्क लगता है, उसके स्थान पर 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक का मूल्यानुसार शुल्क लगाया जा रहा है। यह शुल्क कपड़े के मूल्य के अनुसार घटता-बढ़ता रहेगा और 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम थोक मूल्य वाले सस्ती किस्मों के कपड़ों के मामले में, अब की तुलना में वस्तुतः कुछ राहत मिलेगी। मैं सूती कपड़ों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती हूं सिवाय इसके कि दरों को युक्तिसंगत बनाने का एक छोटा-सा उपाय करूंगी जिससे कुछ किस्म के कपड़ों पर समय जो मात्रानुसार शुल्क लगता है उसके बदले मूल्यानुसार शुल्क लगा करेगा। कृत्रिम रेशे और नकली रेशम के कपड़ों के सम्बन्ध में किए गए शुल्क प्रस्तावों से 13.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

पेट्रोलियम-जन्य पदार्थों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उस पर रोक लगाना, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए आवश्यक है। डीजल में किरोसीन की मिलावट बहुत अधिक बढ़ गई है, इसे भी रोकना आवश्यक है। कोयला आदि अन्य ईंधनों के स्थान पर भट्ठी के तेल (फरनेस आयल) का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को भी रोकना जरूरी है। अतः मोटर स्पिरिट पर लगे शुल्क में 10 पैसे प्रति लिटर, बढ़िया किरोसीन पर लगे शुल्क में 2 पैसे प्रति लिटर और भट्ठी के तेल पर लगे शुल्क में 2 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन तीनों वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से 39.56 करोड़ रुपये के राजस्व की

प्राप्ति होगी जिसमें से मोटर स्पिरिट पर शुल्क की वृद्धि से 21.36 करोड़ रुपया और किरोसीन पर शुल्क की वृद्धि से 9.2 करोड़ रुपया मिलेगा। तटीय नौ-परिवहन (कोस्टल शिपिंग) और बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त भट्ठी के तेल के सम्बन्ध में शुल्क-वृद्धि लागू नहीं होगी और घटिया किस्म के किरोसीन पर लगे हुए शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि बढ़िया किस्म के किरोसीन तेल की कीमत में भी बहुत ही मामूली यानि 3.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मुझे खेद है कि सिगरेट पीने वालों की जेबों को फिर एक बार टटोलना पड़ा है। सिगरेटों पर, मूल्य खण्डों (वेल्यू स्लैब) के आधार पर, 3 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक मूल्यानुसार शुल्क वृद्धि की जा रही है। सस्ती किस्म की सिगरेटों का मूल्य, 10 सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर, केवल एक या दो पैसा बढ़ेगा। यह मानते हुए कि सिगरेट पीने वाले अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, यह अनुमान लगाया गया है कि इस उपाय से 13.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, चाय पर उत्पादन शुल्क इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि निर्यात करने के लिए चाय की, और विशेषतः बढ़िया किस्मों की चाय की पहले से अधिक मात्रा उपलब्ध हो। प्रथम क्षेत्र (जोन) में उत्पन्न खुली चाय पर लगे शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी और द्वितीय क्षेत्र में उत्पन्न चाय पर केवल 10 पैसे प्रति किलो की सीमान्तिक (मार्जिनल) वृद्धि होगी। जहां तक और क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यह वृद्धि प्रति किलो 45 पैसे से एक रुपये तक की भिन्न-भिन्न दरों से होगी। निर्यात पर रिबेट देने के बाद, 7,87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। चाय पर लगे निर्यात-शुल्क को हटा देने से राजस्व में जो कमी आएगी वह इससे पूरी हो जायेगी और उसके बाद भी कुछ रकम बच रहेगी।

गत वर्ष कंट्रोल की चीनी और खुले बाजार की चीनी दोनों पर मूल्यानुसार 23 प्रतिशत की एक-समान की दर से शुल्क लगाया गया था। तब से खुले बाजार की चीनी के दाम बहुत गिर गये हैं। अतः खुले बाजार की चीनी पर इस समय लग रहे 23 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क को बढ़ाकर 37½ प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। कंट्रोल की चीनी के मामले में, जिसकी मात्रा कुल चीनी की मात्रा का 70 प्रतिशत होती है, 23 प्रतिशत की वर्तमान शुल्क दर को थोड़ा-सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत पर पूर्णांकित कर दिया जायेगा। खुले बाजार की चीनी पर लगने वाले शुल्क की दर में की वृद्धि के साथ-साथ, खण्डसारी के शुल्क की दरों को 12½ प्रतिशत से बढ़ाकर 17½ प्रतिशत किया जा रहा है लेकिन जहां तक सम्मिश्रित उद्ग्रहण पद्धति (कम्पाउण्डेड लेवी सिस्टम) के अन्तर्गत दरों का सम्बन्ध है, जिसे अधिकतर उत्पादक अपनाना पसन्द करते हैं, मौजूदा दरों, जिन्हें मूल्यों में हुई कमी को देखते हुए संशोधित किया जा रहा है, कमी होगी। अनुमान है कि चीनी से लगभग 28.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

उत्पादन-शुल्क ढांचे की वर्तमान स्थिति को युक्तिसंगत और सरल बना कर अथवा उसका स्पष्टीकरण करके उसमें कई परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए, टीन की प्लेटों पर लगे शुल्क की सांविधिक (स्टेट्यूटरी) दर 375 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 400

रुपये प्रति मेट्रिक टन की जा रही है। इस समय, आयातित टीन की प्लेटों पर लिये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की तुलना में देशी टीन की प्लेटों पर अधिक बढ़ता हुआ शुल्क किया जाता है ; इस वर्तमान असंगति को दूर करने के लिए ही उपयुक्त वृद्धि की जा रही है। जिन कारखानों में बिजली की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता उनमें उत्पादित रोगनों और वार्निशों पर उत्पादन-शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा, इसी प्रकार ऐसे उर्वरकों (फर्टिलाइजर) से, जिन पर पहले ही शुल्क अदा कर दिया गया हो, बने हुये उर्वरक-मिश्रणों पर भी शुल्क नहीं लगेगा चाहे इन मिश्रणों (मिक्स्चर) को तैयार करने में बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया गया हो या नहीं। उत्पादन के कुछ स्तरों पर, उत्पादन-शुल्कों में दी जाने वाली रियायतों में कुछ परिवर्तन करके स्ट्राबोर्डों और मिल-बोर्डों के सम्बन्ध में भी कुछ राहत दी जा रही है। उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध राहत देने के इन कार्यों से 43 लाख रुपये के राजस्व की हानि होगी। वित्त अधिनियम 1969 की कुछ योग्यकारी व्यवस्थाएं आगे के लिये भी रखी जा रही है।

उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में किये गए सभी प्रस्तावों का कुल मिलाकर फल यह निकलेगा कि राजस्व में लगभग 135 करोड रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा ; इसमें से 100 करोड़ रुपया केन्द्र के लिये होगा और 35 करोड़ रुपया राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों के हिस्से में आएगा।

डाक-तार

डाक-तार विभाग सम्भवत: अगले वर्ष भी घाटे में ही रहेगा। अतः डाक तार और टेलीफोन की शुल्क-दरों में, भविष्य में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से, थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया जाएगा। इन परिवर्तनों का ब्यौरा एक ज्ञापन में दिया गया है जो कि बजट-पत्रों के साथ प्रचारित किया जा रहा है। संक्षेप में, पार्सलों, रजिस्टी फीस वी० पी० वस्तुओं के प्रेषण, मनीआर्डर शुल्क, तार-मनीआर्डरों के अनुपूरक शुल्क और पुस्तक, पैटर्न और नमूना पैकेटों के सम्बन्ध में डाक-शुल्क की दरें कुछ पढ़ाई जा रही हैं। फोनोग्राम और बधाई तार भेजने का शुल्क भी कुछ बढ़ रहा है। एक तिमाही में पहली 750 टेलीफोन-कालों से ऊपर की कालों पर शुल्क 15 पैसे प्रति काल की बजाय 20 पैसे प्रति काल किया जा रहा है। माननीय सदस्य देखेंगे कि पोस्ट-कार्डों और अन्तरदेशीय पत्र-कार्डों जैसी उन सेवाओं को, जिनका उपयोग आम तौर पर जन-साधारण द्वारा किया जाता है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। मनीआर्डरों के मामले में भी 100 रुपये तक कोई वृद्धि नहीं की जा रही। इन प्रस्तावित परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में 8.22 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी और इससे अगले वर्ष प्रत्याशित राजस्व-घाटे की पूर्ति करने के बाद 1 करोड़ रुपये की बचत भी हो सकेगी। सरकारी उपक्रमों (अन्डरटेकिंग) के सम्पूर्ण आन्तरिक साधनों का हिसाब लगाते समय इन परिवर्तनों से होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है।

उपसंहार

संक्षेप में, अतिरिक्त कराधान के प्रस्तावित उपायों से 1970-71 में कुल मिला कर लगभग 170 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से 125 करोड़ रुपये केन्द्र के लिये और 45 करोड़ रुपये राज्यों के लिए होंगे। बाद के वर्षों में, जबकि प्रत्येक कराधान में किये जाने

वाले परिवर्तन पूरी तरह से प्रभावकारी हो जाएंगे, केंन्द्र और राज्यों के राजस्वों में, सामान्य वृद्धि के तत्व को हिसाब में रखे बिना भी, वृद्धि होगी। फलतः अगले वर्ष केन्द्र के बजट में 225 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 290 करोड़ का घाटा रहा है। अभी हाल ही में मूल्यों के बढ़ने का जो रुख रहा है और पिछले वर्ष मुद्रा-उपलब्धि (मनी सप्लाई) में जो काफी बड़ी वृद्धि हुई है उसको देखते हुए, घाटे की वित्त-व्यवस्था में कुछ कमी करना बहुत वांछनीय है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अनाजों की उपलब्धि की वर्तमान अनुकूल स्थिति में 225 करोड़ रुपये का घाटा चिन्ताजनक नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने ऋण को नियंत्रित करने के लिए अभी हाल ही में कई कदम उठाए हैं, और इस सम्बन्ध में लगातार सतर्कता बरतने से, आशा है, सरकार के प्रस्तुत बजट में दिखाए गए घाटे के कारण मूल्यों की सामान्य स्थिरता को कोई धक्का नहीं लगेगा। केन्द्रीय बजट में राज्यों की आयोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था न केवल आयोजनागत सहायता को बढ़ाकर और आयोजना-भिन्न सहायता के लिए व्यवस्था करके ही की गई है, अपितु इसके लिए इस तरीके से अतिरिक्त साधन जुटाए गए हैं जिससे कि राज्य सरकारों के राजस्वों को काफी लाभ मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि इसी पृष्ठ-भूमि में, राज्य अपनी आयोजनागत-भिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से अनधिकृत ओवरड्राफ्टों का सहारा नहीं लेंगे।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं यह कहना चाहूँगी कि इस माननीय सदन में अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मैं राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के वर्तमान युग की चुनौतियों और विवशताओं से भली भांति अवगत हो गई हूं। अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने कुछ प्रमुख नीतियों की एक रूप-रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था जिसकी सीमाओं में रहते हुए यह बजट तैयार किया गया है। मैं समझती हूं कि वह रूप रेखा हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वस्तु-स्थिति के अनुकूल है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह रूपरेखा तत्वतः निर्दोष है अतः एक कठिन परन्तु सुनिर्धारित मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। विकास के अवसर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, यदि हमें उन से पूरा लाभ उठाना है तो इस प्रायोजन के लिए साधन जुटाने में कोई कसर नहीं रखनी होगी। इस अवस्था में प्रयत्नों से विमुख होने का सीधा फल यही निकलेगा कि आगामी वर्षों में और भारी बोझ उठाना पड़ेगा। यदि हम थोड़े से पूर्णतः अस्थायी लाभों के लिए विकास की वर्तमान गति को कम होने देंगे तो हमें उच्च विकास के बढ़ते हुए लाभों से भविष्य में सदा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। यदि विकास की आवश्यकता महत्वपूर्ण है तो सामाजिक कल्याण के कुछ चुने हुए कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्व पद्धति का उद्देश्य साधनों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना तो है ही, परन्तु आय, उपभोग और सम्पत्ति के क्षेत्र में पहले से अधिक समानता लाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारी अर्थ व्यवस्था के जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी प्रयास और निवेश की जरूरत है, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा ; इससे समग्र अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी। इन प्रस्तावों को तैयार करने में मेरा प्रयत्न यही रहा है कि मैं अत्यल्प और अत्यधिक के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करूं।

वित्त विधेयक 1970

FINANCE BILL, 1970

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि वर्ष 1970-71 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्ष 1970-71 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I want to oppose the Finance Bill because the common man is not going to get any relief out of it. The prices of Sugar, motor spirit etc. will increase.

Mr. Speaker : The discussion on principles is held during the 1st reading. At present it is the question of competence of Parliament to pass this legislation... (*Interruptions*).

Shri Shiv Chandra Jha : Only the corporate sector is going to be benefitted. The increase of 65% in the taxes on trusts should be further increased. The big industrialists are being given relief in respect of jute and tea in the name of exports. Government is adopting to policy of deficit financing.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष 1970-71 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा सायं 6.15 बजे सोमवार 2 मार्च 1970, 11 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned at 6.15 P.M. till Eleven of the Clock on Monday, the 2nd March, 1970/Phalguna 11, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—8, शनिवार, 28 फरवरी, 1970/9 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—8, Saturday February 28, 1970/Phalguna 9, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
वित्त विधेयक, 1970—पुरःस्थापित	Finance Bill, 1970—Introduced	1
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	1—2
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	2
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	2
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	2
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2—3
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	3
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	3—4
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	4
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	4
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	5
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	5
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	5
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	7

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 28 फरवरी, 1970/9 फाल्गुन, 1891 (शक)

Saturday, Feb. 28, 1970/Phalguna 9, 1891 (Saka)

***लोक-सभा रात के दस बजे समवेत हुई**

***The Lok Sabha met at 10 P. M.**

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair.*]

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : महोदय, आपने सभा को सोमवार, 2 मार्च, 1970 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित किया था। परन्तु आपने इसे आज पुनः बुलाया है और यह लोक सभा के इतिहास में एक अभूतपूर्व बात है, प्रधान मंत्री द्वारा सभा में आय-व्ययक पेश किए जाने के तुरन्त पश्चात् आकाशवाणी ने विशेष समाचार बुलेटिनों द्वारा समूचे देश में यह घोषणा कर दी थी कि ये कर लगाये जाने का प्रस्ताव है और व्यापारियों ने उन्हीं के आधार पर कीमतें लेना आरम्भ कर दिया था और इन प्रकार गरीब तथा साधारण लोगों से अनाधिकृत ढंग से करोड़ों रुपये ले लिये गये हैं।

मेरे पास एक बिल है जिसमें दस लिटर पेट्रोल पर एक रुपया अतिरिक्त वसूल किया गया है। ग्यारह रुपये लिये जाने चाहिये थे परन्तु बारह रुपये लिये गये हैं। व्यापारी ने यह बिल दिया है और इसपर 8.55 का समय दिया गया है। वित्त विधेयक को सभा में प्रस्तुत न किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुये सरकार आकाशवाणी को ऐसी घोषणायें करने से रोक सकती थी। वर्तमान अस्थिति राजनीतिक स्थिति में यदि सरकार को इस प्रकार जल्दी में कार्य करने की अनुमति दी गई तो न तो स्थिति में कोई सुधार होगा और न ही लोकतन्त्र का भला

---

*लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 15 के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिए जाने पर कि लोक-सभा, जो सोमवार, 2 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, की बैठक शनिवार, 28 फरवरी, 1970 को रात के 10 बजे होगी, लोक-सभा की बैठक रात के 10 बजे हुई।

*Under Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the Speaker having directed that Lok Sabha, which had been adjourned till Monday, the 2nd March, 1970, would sit at 10 P.M. on Saturday the 28th February, 1970. Lok Sabha met at 10 P.M.

होगा। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूँ। यह ठीक है कि तकनीकी तौर पर आप सभा की बैठक बुलाने के लिये सक्षम हैं परन्तु 1950 से लेकर आज तक इस प्रकार संसद् की बैठक कभी नहीं बुलाई गई। अतः आप पर कोई आक्षेप किये बिना मैं सभा को इस प्रकार बुलाये जाने का विरोध करता हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं सभा के इस प्रकार बुलाये जाने पर स्वतन्त्र दल की ओर से कड़ा विरोध प्रकट करता हूँ, यह ठीक है कि आप सभा को किसी भी समय बुला सकते हैं परन्तु एक अनियमित चीज को नियमित बनाने के लिये सभा का बुलाया जाना एक गलत बात है। वित्त विधेयक को पुर.स्थापित न करके वित्त मंत्री ने बड़ी लापरवाही की है। मैं स्वतन्त्र दल की ओर से अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Contingency of Calling the House at a short notice today can be understood but it has raised many important questions. Keeping in view the present political situation of the country specially when the Government is in minority, calling of the sitting of the House at a short notice might create a number of difficulties in future.

It should be taken note of that to why the procedure has not been followed in regard to the introduction of the Finance Bill. The Bill should have been introduced just after the decision took place but this was not done. We are being punished for the mistake of some one also.

I want to request you that this should not be quoted as a precedent in future. You have to find out a solution as regards to the taxes which have already been charged in an authorised manner.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह बैठक बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हो रही है। जितनी अल्पावधि के पश्चात् यह सभा समवेत हो रही है उसको हम सामान्य परिस्थितियों में शायद कभी भी स्वीकार न करते। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूँ कि ऐसा अध्यक्षपीठ की गलती के कारण ही हुआ है। मैं आशा करता था कि आप स्वयं इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे कि ऐसी स्थिति किस कारण उत्पन्न हुई। परन्तु आपने कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बात को रिकार्ड किया जाये कि इस घटना के लिये हम सबको बहुत खेद है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You have neither violated any provision of the Constitution nor any rule of the Rule of Procedure and Conduct of Services in Lok Sabha by summarising this emergency House. I told you at that very moment that Finance Bill has not been presented to the House formally. But I feel that this has happened because of a mistake both on the part of the Chair and the hon. Prime Minister. Just after you adjourned the House we went to see you in your Chamber to help you.

So far on the collection of taxes is concerned, it is stated in the last part of the Finance Bill "it is hereby declared that it is expedient in the public interest that the provisions of clauses 28, 29, 31, 32, 33 and 35 of this Bill should immediate effect under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931". These clauses relate to the imposition of Custum Duty and Excise Duty It means these provisions will have immediate effect. There is no provision whereby we can check the collection of new taxes during this gap of four hours as the House was adjourned at 6 P.M. and has recommend at 10 P.M. It is a serious mistake. Keeping in view of parliamentary conventions and constitutional and moral

values, the hon. Prime Minister who is also holding the portfolio, of Finance has no right to remain in office.

श्री नाथपाई (राजापुर) : सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिये बधाई देता हूँ कि आपको डाक्टरी परीक्षा में आगामी तीन महीनों के लिये शारीरिक तौर पर स्वस्थ घोषित किया गया है।

सभा की यह जो असाधारण बैठक बुलाई गई हैं इससे अनेक मूलभूत मामले उत्पन्न हो गये हैं। यह बैठक एक अभूतपूर्व तथा असाधारण बैठक है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आपको इस प्रकार बैठक बुलाने का पूरा अधिकार है परन्तु ऐसी विवेकपूर्ण शक्ति का प्रयोग बड़ी सावधानी से और तबही किया जाना चाहिए जबकि अन्य कोई विकल्प न हो। ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। दूसरे इसके लिये उचित सूचना दी जानी चाहिए। हम इन बातों का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते हैं परन्तु हम चाहते हैं कि जो मामले उठाये गये है उनपर प्रकाश अवश्य डाला जाना चाहिये। नियम 72 का पालन किया जाना चाहिये था। जब श्री शिवचन्द्र झा बोलने के लिये खड़े हुये थे तो उनको पूरी तरह सुना जाना चाहिये था। अन्यथा आप नियम 64 का आश्रय ले सकते थे। स्पष्ट है कि नियम 72 का पालन नहीं किया गया था और प्रधान मन्त्री ने न ही कोई व्याख्यात्मक वक्तव्य दिया था और न ही विधेयक को पुरःस्थापित किया था।

दूसरे आप नियम 64 के अन्तर्गत विधेयक को प्रकाशित करने का आदेश दे सकते थे। इस प्रकार आपको इस बैठक को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

जैसा कि श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है आपको इस बैठक को बुलाये जाने के उद्देश्य तथा महत्व के बारे में आरम्भ में ही वक्तव्य देना चाहिए था। मैं यह सभी मामले नियम 204 तथा संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत उठा रहा हूँ।

वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के बारे में जो विशेष प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया है। इसके बड़े गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभा को इन सभी मामलों और यदि गोपनीयता भंग हुई है तो उसके परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से बतायें कि इनकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि आप इन सभी बातों को उसी रोशनी में लेंगे जिन में यह बातें कही गई हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 204 का उल्लेख करना चाहती हूँ जिसमें यह बताया गया है कि आयव्ययक क्या है। आयव्ययक में वित्तीय प्रस्ताव शामिल नहीं होते हैं। ये प्रस्ताव वित्त विधेयक द्वारा ही सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वित्त विधेयक को आयव्ययक सम्बन्धी भाषण के पश्चात् सभा में पुरःस्थापित किया जाता है। यदि इस भाषण में से इन प्रस्तावों का उल्लेख निकाल दिया जाये तो वह भाषण एक कोरा भाषण ही रह जाता है। परन्तु भाषण के पश्चात् वित्त विधेयक को प्रस्तुत न किये जाने के कारण करों के परिवर्तन के कोई प्रस्ताव देश के समक्ष नहीं है। अतः इस समय के दौरान अर्थात् आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण और वित्त विधेयक प्रस्तुत किये जाने के बीच का जो समय है उसमें जो कर वसूल किये गये हैं वह किस नियम तथा प्राधिकार के अन्तर्गत किये गये हैं। यदि वास्तव में

ऐसा हुआ है तो इसके लिये दण्ड किसको दिया जायेगा। अतः कर दाताओं से अनधिकृत ढंग से वसूल किये गये कर कर-दाताओं को कौन वापस करेगा।

प्रेम आयल कम्पनी द्वारा मुझ से दस लिटर पेट्रोल के लिए 12 रुपये वसूल किये गये हैं अर्थात् एक रुपया अधिक वसूल किया गया है। इसका अर्थ है कि आयव्ययक की गोपनीयता भंग हुई है क्योंकि उस समय देश के समक्ष कोई वित्तीय प्रस्ताव नहीं थे।

इसी प्रकार आकाशवाणी को भी वित्त प्रस्तावों की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं था। भारत सरकार को भी इस प्रकार का प्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी भी अन्य सरकारी अभिकरण को उन प्रस्तावों की घोषणा करने की अनुमति दे जिनको सभा में पेश नहीं किया गया है। अतः यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यदि विश्व में कोई पूर्वोदाहरण है तो हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। स्थिति यह है कि आयव्ययक के प्रस्तावों के बारे में लोगों को पांच घण्टे पहले पता लग गया है। इस स्थिति पर सभा को निर्णय करना है कि अब क्या किया जाये। मैं चाहती हूँ कि आप स्थिति को स्पष्ट करके बतायें कि ऐसा किन कारणों से हुआ है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभा की बैठक का इस प्रकार समवेत होना न केवल हमारे देश के बल्कि विश्व के सभी लोकतन्त्रात्मक देशों के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। यह न केवल अनियमित और अवैध ही है बल्कि असंवैधानिक भी है।

आपने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 15 के अन्तर्गत यह सभा बुलाई है परन्तु इस नियम के साथ एक परन्तुक भी है जिसमें कहा गया है कि आपको इस प्रकार असाधारण बैठक बुलाने से पूर्व स्वयं को तथा सभा को संतुष्ट करना होगा कि सभा की बैठक बुलाना क्यों उचित है। आपको इस बारे में यह भी सुनिश्चित करना होता है कि क्या प्रत्येक सदस्य को इस बारे में उचित सूचना भेज दी गई है और क्या ऐसा करने के लिये विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। मेरी जानकारी यह है कि अनेक सदस्यों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई है क्योंकि उन्हें सभा के इतनी जल्दी बुलाये जाने की कोई आशा ही नहीं थी। अतः वे अपने घरों में उपस्थित ही नहीं थे।

मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न यह है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत न करके सभा की प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया गया है। नियम के अन्तर्गत वित्त मन्त्री का यह दायित्व है कि वह अपने बजट भाषण के तुरन्त बाद वित्त विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करे। परन्तु वित्त मंत्री अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहे हैं। यदि आप से कोई गलती हो गई थी तो उनका कर्त्तव्य था कि वह आपको बताती।

अतः आपको इस बात का निर्णय करना है कि प्रधान मन्त्री को क्या दण्ड दिया जाये क्योंकि बजट प्रस्तावों के बारे में लोगों को चार घण्टे पूर्व ही पता लग गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : डा० राम सुभग सिंह ने एक रसीद पेश की है जिसमें उनसे एक रुपये की बजाये एक रुपया दस पैसे लिये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्रालय उस व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही करे क्योंकि मूल्यों में वृद्धि 1 अप्रैल से होनी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस घटना को पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिये।

आपको नियम 15 के अन्तर्गत सभा की बैठक बुलाने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिये। सभा के बैठक बुलाने की भी एक प्रक्रिया है। सदस्यों को इसके लिये उचित सूचना दी जानी चाहिये। परन्तु यह सूचना सदस्यों को उचित ढंग से नहीं दी गई है। मेरे विचार में इस प्रकार बुलाई गई बैठक में लिये गये निर्णयों को कोई भी सदस्य, इस आधार पर कि इस बैठक के लिये उसको ठीक सूचना नहीं दी गई है; न्यायालय में चुनौती दे सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इस अनियमितता को किस प्रकार दूर करेंगे। हम कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करना चाहते परन्तु अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : This thing has happened because the rules have not been strictly followed. In the previous sitting when I rose to oppose the budget, I was within my rights Any member can oppose any Bill under Rule 72.

You are competent to call the sitting of the House but proper notice should have been served to each and every Member. I have my doubts about it whether this procedure has been followed.

The Finance Bill is a secret document. Its contents should not be leaked out unless it is introduced in the House. But this has been leaked out and several irregularities committed. Its responsibility falls on you and you will excuse me if I say that you should resign from your office.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसके लिये किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नियमों के अन्तर्गत हमें इस स्थिति का समाधान ढूंढना है। अध्यक्ष को नियम 15 के अन्तर्गत सभा की बैठक बुलाने के अधिकार का दुपयोग नहीं किया जाना चाहिये और इतनी कम अवधि के नोटिस पर सभा की बैठक बुलाने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। समुचित ढंग से सूचना देने के पश्चात् ही इस नियम के अन्तर्गत सभा की बैठक बुलाई जा सकती है, परन्तु इस मामले में समुचित ढंग से सूचना नहीं दी गई है। अत: यह बैठक अवैध है।

नियम 25 के अन्तर्गत सचिव एक दिन की बैठक के लिये कार्यसूची तैयार करता है। अत: आप एक दिन के लिये दो कार्यसूचियाँ किस प्रकार तैयार करवा सकते हैं? आपने एक ही दिन के लिये अब एक अन्य कार्यसूची परिचालित की है।

इन सभी बातों के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश में जो सचिव को प्राप्त हुई है, उसमें कहा गया है कि 28 फरवरी, 1970 को बजट पेश किये जाने के तुरन्त पश्चात् विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा। अब रात के दस बजे हैं जबकि बजट सायंकाल को पांच बजे पेश किया गया था। क्या विधेयक बजट के तुरन्त पश्चात् पुर:स्थापित किया जा रहा है? अत: यह सभा को दिये गये वचन और नियमों का सर्वथा उल्लंघन है। सभा की यह बैठक असंवैधानिक है और नियमोनुकूल नहीं है। अत: हमें इसके लिए कोई अन्य मार्ग निकालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुभव करता हूं कि अब जबकि सभी दलों अथवा वर्गों के नेता अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, मुझे भी कुछ कहना चाहिए ।

इसमें सन्देह नहीं कि यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है, यह कुछ असाधारण है । मैं इसके लिये किसी सदस्य को नहीं बल्कि स्वयं को दोषी ठहराता हूं क्योंकि जब मैं खड़ा था तो मैंने उस ओर नहीं देखा था । कुछ सदस्यों ने कहा है कि विधेयक को साथ-साथ पुरःस्थापित नहीं किया गया और कुछ लोगों का कहना है कि इसको उचित ढंग से पुरःस्थापित नहीं किया गया है । मुझे भी वास्तविक स्थिति के बारे में सन्देह है । परन्तु सभा की बैठक बुलाने के लिये मुझ पर किसी ओर से कोई दबाव नहीं डाला गया । इस बारे में कुछ सदस्यों ने मेरे चैम्बर में मुझ से चर्चा की थी । कुछ सदस्यों का कहना था कि विधेयक को साथ-साथ पुरःस्थापित करने की बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिऐ, परन्तु कुछ अन्य सदस्यों का अनुरोध था कि सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए । परन्तु यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है और मैं इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं परन्तु विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो ।

जब श्री झा खड़े हुये थे, तो मैंने उन्हे कहा था कि वह इस अवस्था पर संसद् की क्षमता को ही चुनौती दे सकते हैं । इससे अधिक नहीं ।

Shri Madhu Limaye : I told you Sir, that either you should amend the rules or give him necessary permission to speak.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । मैंने यही कहा था कि इस अवस्था में, जबकि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रश्न है, सभा की क्षमता को ही चुनौती दी जा सकती है । सभा चाहे तो नियमों में संशोधन कर सकती है । मैं नियमों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहा हूं । परन्तु कई बार इनको कठोरता से क्रियान्वित करना असम्भव हो जाता है । मेरे खड़े होने के बावजूद भी सदस्यगण बोलते रहते हैं । कई बार जब सभा में बहुत अधिक शोर होता है और सदस्यगण अध्यक्षपीठ की आज्ञा नहीं मानते तो सभा को स्थागित करना भी अनिवार्य हो जाता है । जहां तक इस ओर का सम्बन्ध है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है अथवा नहीं । मैंने केवल यह सुना था कि विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया, परन्तु मेरे उप-सचिव ने मुझे बताया था कि जिस समय मैं खड़ा था उसी समय विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया था । परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हो सका । यह ठीक है जैसाकि श्री नाथपाई ने कहा है, मैं अधिसूचना जारी कर सकता था परन्तु मुझे बैठक बुलाने का परामर्श दिया गया । आपको सन्तुष्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है और इसका एक कारण यह भी है कि मैंने सोचा कि करों की अस्थायी वसूली अधिनियम, 1931 आधी रात को ही लागू होता है ।

ऐसा करते समय मेरे मन में लोक-हित ही सर्वप्रथम था । अतः लोक-हित को ध्यान में रखते हुए मेरी गलती तुच्छ है । मैं सारा दोष अपने ऊपर लेता हूं और अनुरोध करता हूं कि मैंने जो स्पष्टीकरण दिया है सभा उसको स्वीकार कर ले ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं वित्त विधेयक, 1970 पुर:स्थापित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : You have just now stated that you were told by your Deputy Secretary that the Finance Bill was introduced when you were on your legs. How the Prime Minister can move the Bill when you were on your legs ...(*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : अब जबकि विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है, व्यवस्था सम्बन्धी और प्रश्न उठाने का कोई लाभ नहीं है। आपकी अनुमति से मैं सभा को सोमवार 2 मार्च, 1970 तक के लिए स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा रात के 10.55 बजे सोमवार 2 मार्च, 1970/फाल्गुन 11, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned at 10.55 A.M. till Eleven of the Clock on Monday, March 2, 1970/Phalguna 11, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj Delhi-6.